(2022) 1 एस.सी.आर. 473

राजेन्द्र भगत

बनाम

झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य

(दाण्डिक अपील सं. 2 वर्ष 2022)

जनवरी 03, 2022

(दिनेश माहेश्वरी तथा विक्रमनाथ न्यायमूर्तिगण)

दण्ड संहिता 1860: धारा 498 क- पति या स्त्री के पति के नातेदार इसके साथ क्रूरता करते थे- धारा 498क के अधीन अपीलार्थी-पति की दोष सिद्धि तथा तीन वर्ष के अधिपेषण-कुछ वर्षों के सादा कारवास का अधिरोपण- बाद, अपीलार्थी तथा इसकी पत्नी ने समझौता किया, अपने सभी विवादो का निराकरण किया तथा खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे है-

उच्च न्यायालय ने समझौते को ध्यान मे रखा था तथा पहले भुगते गये कारावास की अवधि तक दण्डादेश को कम किया था, फिर भी, धारा 498 क के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि किया था- अपील पर, अभिनिर्धारितः समझौते के निबंधनो को ध्यान में रखते हुए जिसमें अपीलार्थी का वचनबंध शामिल है कि वह पत्नी को अपने सेवा अभिलेख में नाम निर्देशिती के रूप में नामनिर्देशित करेगा तथा जहाँ पक्षकारो को खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीना बताया गया है, उच्च न्यायालय को समझौता स्वीकार करना चाहिए था तथा अपीलार्थी के विरूद्द आदेशो के वातिलीकरण के साथ सभी कार्यवाहियो को अभिखंडित करना चाहिए था- फिर भी, उच्च न्यायालय ने ऐसा नही किया था- न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है- समझौता।

बी.एस. जोशी तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा एक अन्य (2003) 4 एससीसी 675: (2003) (2) एससीआर 1104; वितान सेन गुप्ता तथा एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा एक अन्य (2018) 18 एससीसी 366- निर्दिष्ट

<u>निर्णयज विधि संदर्भ</u>

(2003) (2) एससीआर	1104	निर्दिष्ट	पैरा 18
(2018) 18 एससीसी	366	निर्दिष्ट	पैरा 9

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं0 2 वर्ष 2022

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 910 वर्ष 2019 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 17.02..2021 से

सुश्री अनामिका घई नियाजी, एम. ए.. नियाजी, कुणाल किशोर, सुश्री कीर्ति जायसवाल सुश्री नेहमत सेठी, सुश्री तांसी अरोड़ा, कृष्णपाल मवी, अपीलार्थी के अधिवक्तागण जयंत मोहन, सुश्री आद्या श्री दत्त, आदित्य कुमार, सुश्री मृण्मयी साहूँ, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

न्यायालय का आदेश पारित किया गया ।

आदेश

1. अनुमति स्वीकृत

2. यह अपील निर्णय तथा आदेश दिनांक 17.02.2021 के विरूद्द निदेशित है जैसा दाण्डिक पुनरीक्षण सं.0 910 वर्ष 2019 (आई.ए.सं0 6052 वर्ष 2020 के साथ) में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने पक्षकारो के बीच समझौते को ध्यान में रखने के बाद, जिसने अपने वैवाहिक झगड़ा को निपटा लिया है तथा खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे है, अपीलार्थी द्वारा पहले भुगते गये की कारावास अवधि के दण्डादेश को कम करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 1860 (भा0द0सं0) की धारा 498-क के अधीन अपीलार्थी के दोषसिद्धि की पुष्टि किया है।

3. वर्तमान अपील मे एक मात्र प्रश्न जिसका अवधारण आवश्यक है यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपने वैवाहिक विवादो का निराकरण करने वाले पक्षकारो के समझौते को ध्यान में रखने के बाद भी पूर्णतया दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त न करने में त्रुटि किया है। अन्तवलित संक्षिप्त प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, सभी तथ्यात्मक पहलूओ पर सविस्तार वर्णन आवश्यक नही है तथा पृष्ठ भूमि के लिए केवल संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।

4. अपीलार्थी ने 12.09.2005 को बतौर नायक भारतीय सेना में पदभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं02 का विवाह 25.05.2013 को हुआ था। कुछ विवादो के पैदा होने के बाद, प्रत्यार्थी सं. 2 ने दहेज की माँग, मानसिक तथा शारीरिक यातना इत्यादि के अभिकथनो के साथ अपीलार्थी तथा इसके परिवार के सदस्यो के विरूद्द पुलिस थाना, सिसई में प्र0सू0रि0सं0 204 वर्ष 2014 दर्ज कराया था। 26.11.2014 को, अभियुक्त व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 498-क,323,417,34 के अधीन अपराधो के लिए आरोप दाखिल

किया गया था तथा तदनुसार आरोपो को विरचित किया गया था। जीआर मामला सं0 904 वर्ष 2014 मेें विचारण के बाद, विद्धान न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम वर्ग गुमला ने धारा 498-क भा0द0सं0 के अधीन अपराध के तथा धारा 323 भा0द0सं0 के अधीन अपराध के अन्य अभियुक्त व्यक्तियो को दोषसिद्ध किया था। सभी अभियुक्त व्यक्तियो को धारा 417, 34 भा0द0सं0 के अधीन आरोपो से दोषमुक्त किया गया था। अपीलार्थी के सिवा, सभी अन्य अभियुक्त व्यक्तियो को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया गया था लेकिन, अपीलार्थी को तीन वर्ष के सादा कारवास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

5. अपीलार्थी द्वारा अधिमानित अपील दाण्डिक अपील सं0 10 वर्ष 2019 को सेशन जज, गुमला द्वारा 30.05.2019 को खारिज किया गया था। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 910 वर्ष 2019 अधिमानित किया था। जब उक्त पुनरीक्षण याचिका लंबित था, दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी। पहला धारा 498-क भा0द0सं0 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किये जाने के लिए अपीलार्थी को 14.07.2020 से अपने सैनिक सेवा से वरखास्तगी हेतु सक्षम प्राधिकारी का मंजूरी था। दूसरे सुसंगत घटना में, 24.11.2020 को अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं0 2 ने अन्य बातो के साथ यह कहते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया था कि परिवार के सदस्यों, सामान्य नातेदारो तथा मित्रों के हस्तक्षेप तथा परामर्श से इन लोगो ने समझौता किया था तथा अपने सभी विवादो का निराकरण किया था। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी से इसे पूरे आदर तथा गरिमा के साथ रखने के आश्वासन के साथ समझौता हेतु प्रस्ताव करने के बाद, प्रस्ताव को अपने वैवाहिक कर्तव्यो का निवर्हन करने का वचन लेते हुए कुछ शर्तो के साथ पत्नी (प्रत्यर्थीसं02) द्वारा स्वीकार किया गया था। यह निवेदन किया गया था कि पक्षकारगण प्रेम तथा स्नेह के साथ एक साथ रह रहे है तथा इनके बीच विवाद नही है। इसलिए, यह संयुक्त रूप से अनुरोध किया गया था कि चूकि विवाद पारिवारिक विवाद था जो भ्रामक जानकारी तथा गलतफहमी के कारण पैदा हुआ था, अब पुनरीक्षण याचिका का निपटारा बदले हुए परिस्थितियों तथा पक्षकारो के पारिवारिक हैसियत के दृष्टिगत किया जा सकता है। इस आवेदन को आई.ए. सं0 6052 वर्ष 2020 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने 17.02.2021 को विचारार्थ मामला का पूर्वसंदाय किया गया तथा पक्षकारों के निवदनो को ध्यान में रखने के बाद कि इनलोगों ने वैवाहिक झगड़े को निपटा लिया था तथा खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनन्द लेते हुए एक साथ रह रहे है, वास्तव में संप्रेक्षित किया कि कार्यवाहियों के जारी रहने से असामंजस्य हो सकता है लेकिन

तत्पश्पात मात्र इसके दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए अपीलीर्थी द्वारा पहले भुगते गये कारावास के अवधि के दण्डादेश के उपांतरण का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया तथा निम्नवत निदेश दिया थाः

> "3. सुना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याची-पति तथा पत्नी -विरोधी पक्षकार सं0 2 ने तात्विक झगड़े को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा तथा निपटा लिया है तथा एक साथ रह रहे है एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे है, इसलिए इस संभावना का वर्जन नही किया जा सकता है कि कार्यवाही के जारी रहने से पति तथा पत्नी के बीच कलह तथा दुर्भाव कारित करते हुए दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट तथा असामंजस्य हो सकता है।
>
> इस प्रकार न्यायहित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनो पक्षकार खुशहाल दाम्पत्य जीवन का आनन्द लगातार ले रहे है, विद्वान सेशन जज, गुमला द्वारा दाण्डिक अपील सं0 10 वर्ष 2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 तथा जी.आर. मामला सं0 904 वर्ष 2014 (टी.आर सं0 185 वर्ष 2018) में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, गुमला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2019 की एतदद्वारा पुष्टि दण्डादेश के उपांतरण के साथ की जाती है। याची को इसके द्वारा पहले भुगते गये अभिरक्षा के अवधि तक दण्डादिष्ट किया जाता है।
>
> 4. परिणाम स्वरूप, आई. एस0 6052 वर्ष 2020 को दण्डादेश जैसा ऊपर बताया गया है की उपांतरण के साथ एतदद्वारा निपटाया जाता है तदनुसार दाण्डिक पुनरीक्षण को एतदद्वारा निपटाया जाता है।"

7. मामले को इसके सम्पूर्णता में जाँच करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पक्षकारों द्वारा पेश आवेदन के साथ पुनरीक्षण याचिका को निपटाते समय यह विचार करने में हिचकिचाया नही था कि धारा 498-क भा0द0सं0 के अधीन अपराध के अपीलार्थी के दोषसिद्धि को कायम रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नही होगा तथा इस प्रकार के दोषसिद्धि को कायम रखने से तथा अपीलार्थी के अपनी नौकरी खो देने से, परिवार पुनः स्वयं को आर्थिक विपत्ति में पहुचाँ देगा जो अंततोगत्वा पक्षकारो के सौहार्दपूर्ण तथा खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रतिकूल कार्य कर सकता है। अपीलीर्थी तथा प्रत्यर्थी सं0 2 दोनों के लिए उपस्थित होते हुए। विद्वान अधिवक्ता ने अपना रूख दोहराया है कि इनलोगों ने अपने विवादो को निपटा लिया है तथा खुशहाल दाम्पत्य जीवन जीते हुए एक साथ रह रहे है।

8. धारा 498-क भा0द0सं0 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विवादो के सदभावपूर्ण समझौते की दशा में उच्च न्यायालय का अपेक्षित दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा एक अन्य (2003) 4 एससीसी 675 के मामले में सम्यक प्रतिपादित किया गया था, जहाँ इस न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के यथार्थ समझौते को प्रोत्साहित करने के न्यायालय के कर्तव्य को रेखांकित किया है तथा निम्नवत कहाः-

"12. इस प्रकार के विवाह विषयक मामलो में विशेष लक्षण स्पष्ट है। विवाह विषयक विवादो के यथार्थ समझौते को प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है।

13. जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद (2000) 3 एससीसी 693ः 2000 एससीसी (क्रि) 733) में इस न्यायालय द्वारा किया गया संप्रेक्षण यद्यपि किंचित भिन्न संदर्भ में न्यायालय द्वारा विषयक विवाद को ध्यान में रखे जाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का अवधारण करने हेतु पूर्णतया उपयुक्त हैं। यह कहा गया है कि हालिया समय में विवाह विषयक विवादों में विस्फोट हुआ है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, जिसका प्रमुख उददेश्य युवा दम्पति को जीवन में व्यवस्थित होने तथा शांतिपूर्वक रहने के लिए सक्षम बनाना है। लेकिन थोड़ा विवाह-विषयक वाद विवाद यकायक फूट पड़ता है जो बहुत गंभीर अनुपात में होता हैं जिसके परिणाम स्वरूप जघन्य अपराधों को किया जाता है जिसमें परिवार के गुरू जन भी इस परिणाम में शामिल होते है कि ऐसे लोग जो परामर्श दे सकते थे तथा पुनर्मेल करा सकते थे अपने दाण्डिक मामले मे बतौर अभियुक्त सूचीबद्ध किये जाने पर असहाय हो जाते है। ऐसे कई अन्य कारण है जिसका विवाह विषयक मुकदमे का प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है जिससे पक्षकारगण अपने त्रुटियों पर विचार कर सके तथा विधि न्यायालय में लड़ने के बजाय परस्पर समझौते हुए मैत्रीपूर्ण तरीके से अपने विवादो को समाप्त कर सके जहाँ समाप्त होने में कई वर्ष लग जाते है तथा इस प्रक्रिया में पक्षकारगण विभिन्न न्यायालयों में अपने मामलों का पीछा करने में अपनी जवानी गवाँ देते है।

14. इस बात में कोई संदेह नही है कि दण्ड संहिता, 1860 में अध्याय 20-क जिसमें धारा 498-क अन्तर्विष्ट को पुरः स्थापित करने का उद्देश्य स्त्री को इसके पति द्वारा या इसके पति के नातेदारों द्वारा यातना देने से रोकना है। धारा 498-को पति तथा इसके नातेदारोेंं को दण्डित करने के विचार से जोड़ा गया था जो दहेज के अविधिपूर्ण माँग को पूरा करने के लिए पत्नी का इसके नातेदारों को तंग करते है या

यातना देते है। अति तकनीकी विचार असफल होगा तथा स्त्री के हित के विरूद्ध तथा उस उद्देश्य के विरूद्द कार्य करेगा जिसके लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था। पूरी संभावना है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाहियों के अभिखण्डन करने के अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग न किया जाना स्त्री को पहले समझौता करने से रोकेगा। यह दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 20-क का उद्देश्य नही है।

15. उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत, हम धारित करते है कि उच्च न्यायालय अपने अन्तनिर्हित शक्तियों के प्रयोग में दाण्डिक कार्यवाहियों या प्र0सू0रि0 या परिवाद को अभिखंडित कर सकता है तथा संहिता की धारा 320 संहिता की धारा 482 के अधीन शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करता है।

16. पूर्वगामी कारणों पर, हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा अपील अनुज्ञात करते है एवं उपरोक्त प्र0सू0रि0 को अभिखंडित करते है।

9. उपर्युक्त विचार इस न्यायालय द्वारा वितान सेनगुप्ता तथा एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा एक अन्य (2018) 18 एससीसी 366 के मामले में दोहराया गया है।

10. पूर्वोक्त मामले को ध्यान में रखते हुए तथा समझौते के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए जैसा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है जिसमें अपीलार्थी े का वचन बंध शामिल है कि वह अपने सेवा अभिलेख मंे प्रत्यर्थी सं0 2 को बतौर नामनिर्देशिती नामनर्देशित करेगा; तथा जहाँ पक्षकारगण कथित तौर पर खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे है, मेरी स्पष्ट रूप से राय है कि उच्च न्यायालय को समझौता स्वीकार करना चाहिए था तथा अपीलार्थी के विरूद्द आदेशों के बातिलीकरण के साथ सभी कार्यवाहियों को अभिखंडित करना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा न करने पर, हम इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रवृत्त है जिससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके।

11. तदनुसार इस अपील को अनुज्ञात किया जाता है तथा दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 910 वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश आई.ए सं0 6052 वर्ष 2020 को अनुज्ञात करते हुए, उक्त प्र0सू0रि0 सं0 204 वर्ष 2014 से उदभूत सभी कार्यवाहियों को अपीलार्थी के रूप में अभिखंडित किया जाता है। स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी के दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त किया जाता है।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>